

17/3/25

पगावली पेश पोठामीन अधिकारी अवकाश पर है
दौर पर हेदीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः ~~उपलब्ध~~
~~दिनांक 20/5/25~~ को पेश हो।

20/05/25 पगावली पेश हुई आपना पत्र / तदानीलदाल होकर प्रस्तुत प्रस्ताव का
अवलोकन किया गया। पगावली पर उपलब्ध मौका जर्द दिनांक 19/05/2025
को रिमांड पर लिया। मौका जर्द का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन
में स्पष्ट है कि मास्तराव किरानाराव, मल्लाराम, मानसिंह, दुर्गासिंह, पल्लव
सिंह, वर्गाराम द्वारा शास्त्र के संवर्धन विरोध पताया। ऐसी स्थिति
में उम्मावाला राजस्थान क्र-राजत्व अधिनियम 1956 की धारा 132,
131, में जोषणीय नदी होने के खारिज किया जाता है पगावली
जिसका शुभ्राट होकर नंबर में क्र है 